...लय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

...: 78/2018

कन्हैयालाल पुत्र जगन्नाथ दत्तक पुत्र श्रीकिशन जाति मीणा निवासी तिसाया तहसील मांगरोल जिला बारां ...वादी

♠ बनाम ♠

1. मांगीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी तिसाया तहसील मांगरोल जिला बारां
2. जगन्नाथ पुत्र भैरूलाल जाति मीणा निवासी तिसाया तहसील मांगरोल जिला बारां
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादी : श्री अजीत कुमार जैन
वकील प्रतिवादीगण : श्री लिहाज हुसैन अंसारी
दायरा दिनांक: 13.07.2018 निर्णय दिनांक : 21.12.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी कम 1 एक ही पिता की जाइन्दा संतान है। वादी श्रीकिशन जी के गोद चला गया है जो श्रीकिशन का दत्तक पुत्र है। इसी प्रकार प्रतिवादी कम 1 भी भूरालाल के गोद चला गया जो भूरालाल का दत्तक पुत्र है। प्रतिवादी कम 2 ने अपने जीवनकाल में अपने खाते की भूमि का विभाजन मौखिक रूप से कर दिया है जिसके अनुसार ही सभी अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त हैं। ग्राम रामपुरिया बडौद पटवार क्षेत्र तिसाया तहसील मांगरोल के नया खाता संख्या 81 पुराना 78 की आराजी खसरा नं0 205 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 206 रकबा 0.35 है0, खसरा नं0 221 रकबा 0.10 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.58 है0, आराजी स्थित है। उक्त आराजी वर्तमान में प्रतिवादी कम 1 मांगीलाल के खाते दर्ज है। किन्तु यह आराजी मुताबिक पारिवारिक सेटलमेंट वादी को प्राप्त हुयी है जिस पर वादी गत 40–50 वर्षो से काश्त करता आ रहा है एवं उक्त आराजी पर कभी भी प्रतिवादी कम 1 द्वारा काश्त नही की है। उक्त आराजीयात पर वादी निरन्तर काश्त करता आ रहा है तथा वादी द्वारा निरन्तर प्रतिवादी कम 1 से उक्त भूमियां अपने नाम करवाने बाबत निवेदन किया जा रहा है। अब प्रतिवादी कम 1 के मन में बेईमानी आ गई है तथा वह वादी से उसके हिस्से व काश्त की आराजी को प्राप्त करना चाहता है। जिसके लिए वह आये दिन वादी से लडाई झगडे पर आमादा रहता है अतः बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिकी पारित फरमायी जावें कि ग्राम रामपुरिया बडौद पटवार क्षेत्र तिसाया तहसील मांगरोल के नया खाता संख्या 81 पुराना 78 की आराजी खसरा नं0 205 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 206 रकबा 0.35 है0, खसरा नं0 221 रकबा 0.10 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.58 है0 जो प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज है उस पर वादी को खातेदार घोषित किया

...दी कम 1 का नाम खाते से डिलिट किया जावें। प्रतिवादी कम 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से ...या जावे कि उक्त आराजी जिस पर वादी काबिज काश्त है उस पर किसी प्रकार की ...दाजी न करें। वादी को शांति पूर्वक काश्त करने देवें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 13.07.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 की ओर से आज दिनांक तक कोई उपस्थित नही होने से प्रतिवादी कम 1 मांगीलाल पुत्र जगन्नाथ को एक्स पार्टी घोषित कर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी कम 2 की ओर से वकील श्री लिहाज हुसैन अंसारी द्वारा दिनांक 13.12.2018 को जवाब दावा प्रस्तुत किया। जवाब दावा अनुसार प्रतिवादी कम 2 जगन्नाथ पुत्र भैरूलाल जाति मीणा निवासी तिसाया द्वारा वाद पत्र की समस्त मद स्वीकार की है एवं निवेदन किया है कि वाद पत्र में वर्णित आराजी जो वर्तमान में प्रतिवादी कम 1 के नाम से दर्ज राजस्व रेकार्ड है किन्तु उक्त आराजी प्रतिवादी कम 2 द्वारा कीमतन कय की है जिस समय वादी की उम्र कम होने से उक्त आराजी प्रतिवादी कम 1 के नाम से दर्ज करवायी गई थी। जो आराजी वर्तमान में प्रतिवादी कम 1 के नाम दर्ज है वह आराजी पारिवारिक विभाजन में वादी को प्राप्त हुयी है, तथा वादी करीबन 40–50 वर्षो से विवादित आराजी में काश्त करता चला आ रहा है। अतः वादग्रस्त आराजी को वादी के खाते दर्ज किया जाकर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन, मनन व अध्ययन किया गया। प्रकरण में दिनांक 21.12.2018 को वादी व प्रतिवादी कम 2 के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। सुनी गयी बहस, प्रस्तुत दस्तावेज तथा वादी व प्रतिवादी कम 2 द्वारा इकबालिया जवाब के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रामपुरिया बडौद पटवार क्षेत्र तिसाया तहसील मांगरोल के नया खाता संख्या 81 पुराना 78 की आराजी खसरा नं0 205 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 206 रकबा 0.35 है0, खसरा नं0 221 रकबा 0.10 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.58 है0 के राजस्व रेकार्ड में दर्ज प्रतिवादी कम 1 का नाम मांगीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा हजफ किया जाकर वादी का नाम कन्हैयालाल पुत्र जगन्नाथ दत्तक पुत्र श्रीकिशन जाति मीणा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मांगरोल को उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुन